

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न]”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली”;

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “7117” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में “कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं”, शब्दों के स्थान पर “घमेला से भिन्न” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “विभूति” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“151	कोई भी अध्याय	“सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे”;
------	------------------	--

[फा. सं. 354/1/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1392(अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 8/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

- (i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry “Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]”, shall be substituted;
- (ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake”;

- (iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry “7117” shall be substituted’;
- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words “used in agriculture, horticulture or forestry” the words, “other than ghamella”, shall be added;
- (v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry “Vibhuti”, shall be substituted;
- (vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“151	Any chapter	“Parts for manufacture of hearing aids”;
------	-------------	--

[F. No. 354/1/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 43/2017-Integrated Tax (Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1392(E), dated the, 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 9 /2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 86(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जितना कि वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है।